

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल।

(देखें अभिलेख हस्ताक 1941 का नियम 129)

अनुसूची फार्म सं०-602

आदेश फलक

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

जिला- सरायकेला-खरसावाँ
केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 17/25-26

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी
तारीख
सहित

3

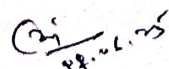
आदेश की क्रम संख्या और तारीख																			
1	2																		
11/6/25	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री सन्नी कुमार वर्मन एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक साधु चरण महतो के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं०- PRI2406080195721622025225133318852, दिनांक- 25.02.2025 के द्वारा मौजा- बानसा, खाता सं०- 55, प्लॉट सं०- 1170 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जौचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :- <table><tr><th>क०</th><th>मौजा / थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा (ए० में)</th><th>पंजी II रैयत का नाम</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>1</td><td>बानसा / 195</td><td>55</td><td>1170</td><td>0.02½</td><td>साधुचरण महतो, पिता- गोवर्धन महतो, ना०मु०सं०- 693 / 2003-04 के अनुसार</td></tr></table>	क०	मौजा / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	बानसा / 195	55	1170	0.02½	साधुचरण महतो, पिता- गोवर्धन महतो, ना०मु०सं०- 693 / 2003-04 के अनुसार
क०	मौजा / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम														
1	2	3	4	5	6														
1	बानसा / 195	55	1170	0.02½	साधुचरण महतो, पिता- गोवर्धन महतो, ना०मु०सं०- 693 / 2003-04 के अनुसार														

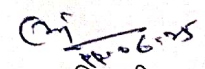
उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख एवं पंजी- II से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा- बानसा, थाना सं०- 195, खाता सं०- 55, प्लॉट सं०- 1170, रकबा- 0.02½ ए० भूमि ना०मु०सं०- 693/2003-04 के द्वारा नामांतरित होकर साधुचरण महतो, पिता- गोवर्धन महतो के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, दलील की छायाप्रति, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति, नामांतरण अभिलेख की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित


अंचल अधिकारी
चाण्डिल।


अंचल अधिकारी,
चाण्डिल।